



सप्तदश बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-02.03.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री राजेश कुमार, स०वि०स० श्री महा नंद सिंह, स०वि०स० श्री भूदेव चौधरी, स०वि०स० श्री चेतन आनंद, स०वि०स० श्री सतीश कुमार, स०वि०स० श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदर्य यादव, स०वि०स० श्री शकील अहमद खाँ, स०वि०स० श्री भाई बीरेन्द्र, स०वि०स० श्री रामवृक्ष सदा, स०वि०स० श्री आनन्द शंकर सिंह, स०वि०स० श्री निरंजन कुमार मेहता, स०वि०स०	“बिहार राज्य ग्राम रक्षा दल के स्वयंसेवकगण बिहार के ग्राम पंचायतों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। विगत वर्षों के कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था तब प्रदेश के विभिन्न जिलों के जिला एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा कानून-व्यवस्था संधारण में ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की अहम मदद ली गई थी। यदा-कदा पूजा-पाठ, पर्व त्योहारों के अवसरों पर भी इनकी सेवा ली जाती रही है। इनकी स्थिति भुखमरी के दरवाजे पर खड़े बेरोजगारों-सी है, जबकि इन्हें समायोजन कर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में आने वाले गाँवों में शराबबद्दी, बाल-विवाह व अवैध बालू खनन की रोकथाम और गाँवों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ की जा सकती है साथ ही प्रदेश की पुलिस एवं जिला प्रशासन पर गाँवों की सुरक्षा के बढ़ते दबाव को भी कम किया जा सकता है।”	पंचायती राज

अतः बिहार राज्य ग्राम रक्षा दल के स्वयंसेवकों को मानदेय या संविदा पर ग्राम पंचायतों में समायोजन करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

२. श्री जनक सिंह,
स०वि०स०

“सारण जिलान्तर्गत तरैया, ईसुआपुर एवं पानापुर प्रखंड
सहित राज्य के सभी प्रखंडों में वैसे सभी ग्रामीण सड़कों
जिसका रख-रखाव अवधि पांच वर्ष पूर्ण हो चुका है,
उस सड़क की स्थिति जर्जर हो गई है। सड़कों की
मरम्मति कार्य नहीं होने के कारण आम आवाम को
काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे
संबंधित सभी पथों की मरम्मति कार्य करना अत्यावश्यक
है।

अतएव जनहित में उक्त प्रखंडों के साथ-साथ
सभी सड़कों जिनका रख-रखाव अवधि पांच वर्ष पूर्ण हो
चुका है, का मरम्मति कार्य कराने हेतु मैं सदन के
माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।”

ग्रामीण कार्य

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-०३/२०२३- ५४६

/ वि०स०, पटना, दिनांक- १ मार्च, २०२३ ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पदन कुमार पाण्डेय

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

१

मार्च, २०२३ ई०।


(विमलेन्दु भूषण कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-०३/२०२३- ५४६

/ वि०स०, पटना, दिनांक- १ मार्च, २०२३ ई०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(विमलेन्दु भूषण कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-०३/२०२३- ५४६

/ वि०स०, पटना, दिनांक- १ मार्च, २०२३ ई०।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / पंचायती राज विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(विमलेन्दु भूषण कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-03/2023-

५४६

/ विंस०, पटना, दिनांक-

१

मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

लिखा
०१-३-२३

(विमलेन्दु मूषण कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

1/३/२३